

उनवान

1. श्रीमति देउबाई पत्नी मांगीलाल अहीर नि० औज्याडा तहसील हमीरगढ जिलाभीलवाड
बनाम -प्रार्थी

श्री शंकरलाल पिता मांगीलाल सोनी निवासी औज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
श्री प्रकाश पिता मांगीलाल सोनी निवासी औज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
श्री नवरतन पिता मांगीलाल सोनी निवासी औज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
श्री राधाकिशन पिता श्री पन्नालाल सोनी निवासी औज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
श्रीकिशन लाल पिता नन्दा नायक निवासी औज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 01.03.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
56 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 28.09.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम औज्याडा
वार हल्का औज्याडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र व तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि
राजी नम्बर 2038 रकबा 6 बीघा, आ०नं० 2038/1 रकबा 01 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा
बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत
राजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी
ने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर
प्ररगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.01.2019 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के
अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से 06 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के
बिना उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना
पत्र प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध
दस्तावेजों का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते
खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार
अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व
प्रतिकूल प्रभावित किये जाते हैं। अतः इनत थ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन
प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम औज्याडा पटवार
का औज्याडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र व तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर
2038 रकबा 6 बीघा, आ०नं० 2038/1 रकबा 01 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 01 बिस्वा भूमि
पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमानुसार
प्रार्थित शुल्क 700/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु० की
प्रमानुसार अदसयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 01.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फौसल
प्रकार होकर दाखिल दपतर रहे।


उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ